भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2481

सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

हिमाचल प्रदेश में 'प्रसाद' योजना के तहत मंदिरों का विकास

2481. डॉ. राजीव भारद्वाजः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रसाद) योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और चंबा जिलों सहित सरकार द्वारा विकास के लिए स्वीकृत मंदिरों की जिला-वार संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं की चोटी पर स्थित प्रमुख तीर्थ स्थल जय श्री नंदीकेश्वर धाम और आदि हिमानी चामुंडा देवी मंदिर के महत्व को देखते हुए सरकार का उक्त स्थलों का इस योजना के तहत जीर्णोद्धार और कायाकल्प कार्य शुरू करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): पर्यटन अवसंरचना का विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय अपनी योजना "तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान" (प्रशाद) के तहत देश भर में चिह्नित धार्मिक और विरासत स्थलों पर पर्यटन से संबंधित अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

प्रशाद योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में किसी भी परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय ने 'स्वदेश दर्शन (एसडी)', 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0)' और 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)' नामक योजनाओं के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य में कांगड़ा और चंबा जिलों सहित विभिन्न अवसंरचना विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसका विवरण **अनुबंध** में है।

(ख) और (ग): वर्तमान में, प्रशाद योजना के तहत धौलाधार पर्वत की चोटी पर स्थित जय श्री नंदीकेश्वर धाम और आदि हिमानी चामुंडा देवी मंदिर के जीर्णोद्धार और कायाकल्प का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि, पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासनों से प्रस्ताव प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है। प्राप्त प्रस्तावों की निर्धारित दिशानिर्देशों के संदर्भ में जांच की जाती है और ऐसी परियोजनाओं के लिए निर्धारित शर्तों की पूर्ति और धन की उपलब्धता के अध्यधीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अनुबंध

डॉ. राजीव भारद्वाज द्वारा हिमाचल प्रदेश में 'प्रसाद' योजना के तहत मंदिरों के विकास के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न संख्या 2481 के भाग (क) के उत्तर में **विवरण**

हिमाचल प्रदेश राज्य में स्वदेश दर्शन योजना के तहत स्वीकृत परियोजना की सूची

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	**परिपथ/स्वीकृति वर्ष**	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत राशि**
1.	हिमालयन 2016-17	हिमालयन परिपथ: कियारीघाट, शिमला, हाटकोटी, मनाली, कांगड़ा, धर्मशाला, बीर, पालमपुर, चंबा का विकास	68.34

हिमाचल प्रदेश राज्य में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत स्वीकृत परियोजना की सूची

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	**गंतव्य**	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृति वर्ष**	**स्वीकृत राशि**
1.	चिंतपूर्णी	मां चिंतपूर्णी देवी मंदिर, ऊना का विकास	2025-26	56.26

हिमाचल प्रदेश राज्य में चुनौती आधारित गंतव्य विकास के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	**गंतव्य/श्रेणी**	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृति वर्ष**	**स्वीकृत राशि**
1.	काज़ा (संस्कृति एवं विरासत)	काजा में पर्यटन अवसंरचना का विकास	2024-25	24.82
2.	रक्छम (जीवंत ग्राम कार्यक्रम)	रक्छम में पर्यटन अवसंरचना विकास - जीवंत ग्राम	2024-25	4.96
